

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ए०ई०/03/नि०वि०-1/ग्रुप-III/ क्षमता निर्माण/1421

दिनांक: .06.2026

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के आदेशानुसार प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण(Data) क्षमता निर्माण हेतु SAI Capacity Building Portal पर अद्यतन(update) किया जाना है। अतः, प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित विवरण को अपने आधिकारिक (Official) Email-Id से कार्यालय Email-Id- dagworkcell.up2.ae@cag.gov.in पर दिनांक 19.06.2026 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

1. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications) और व्यावसायिक सर्टिफिकेशन (Professional Certifications)
2. APAAR ID

इसके अतिरिक्त, यह प्रायः देखने में आया है कि उपर्युक्त संवर्ग के कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक पत्राचार हेतु उनके व्यक्तिगत ईमेल-Id, पुराना Designation based ईमेल-Id तथा Executive Engineer के ईमेल-Id का उपयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में, कई बार कार्यालय आदेश के द्वारा पहले भी निर्देशित किया जा चुका है कि आधिकारिक पत्राचार हेतु केवल name based शासकीय ईमेल-Id का ही उपयोग करना है। फिर भी, प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है और शिथिलता बरती जाती है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है।

अतः प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की अभी तक name based शासकीय ईमेल-Id नहीं बनी है, वे निर्धारित प्रारूप में ईमेल-Id बनवाने हेतु अपना विवरण इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


वरि० उपमहालेखाकार/निर्माण

पत्रांक: ए०ई०/03/नि०वि०-1/ग्रुप-III/ क्षमता निर्माण/168-170

दिनांक: .06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
2. वरि० लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध से कि वे उक्त आदेश को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।


वरि० लेखाधिकारी/नि०वि०-1